न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर

जयराम प्रसाद तिवारी तनय रामसिया तिवारी निवासी ग्राम भमरा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) ....अपीलाण्ट

बनाम

1. राज्य म0प्र0 शासन
2. सीताराम तिवारी तनय बृजनंदन तिवारी
3. गोकरण प्रसाद तिवारी तनय रामकुशल तिवारी
4. भागवत प्रसाद तिवारी तनय बालमीक तिवारी
5. सत्यनारायण तिवारी तनय बालमीक तिवारी
6. दयानन्द तिवारी तनय दौलतराम तिवारी
7. हरिमन प्रसाद तनय रामभजन तिवारी
8. केदार प्रसाद तनय रामदास तिवारी सभी निवासी ग्राम भमरा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) ....रेस्पाडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1374/अपील/ 2015–16 आदेश दिनांक 08.09.2016

अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न है :–

01. यह कि अपीलाण्ट आराजी क्रमांक 237 रकवा 5.70 एकड़ का पुस्तैनी रूपसे मालिक भूमि स्वामी है, जिसमें अपीलाण्ट पुस्तैनी रूप से काबिज दखील चला आ रहा था, किन्तु म0प्र0 शासन द्वारा सतना सेमरिया रोड का निर्माण बन्दोबस्त रोड से अलग कराया गया जिसमें अपीलाण्ट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3200–दो/2016 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। उनके तर्क सुने किये गये । 2/ यह अपील अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें रेस्पोडेन्टगण को सूचना दी गई, सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । अपीलाण्ट/आवेदक द्वारा अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा के यहां एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके निजी स्वामित्व की भूमि खसरा नं0 237 रकबा 5.70 एकड़ के अंश रकबा 2.04 एकड़ स्थित मौजा भमरा तहसील सेमरिया से सेमरिया–सतना मार्ग निकाला गया था तथा जिस समय सेमरिया–सतना मार्ग का निर्माण किया गया था, उस समय अपीलाण्ट की आपत्ति पर लोक निर्माण के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया था कि आराजी नं0 54/1 एवं आराजी नं0 25 जिससे पुराना रोड निर्माण किया गया था, शासकीय भूमियां है, जिससे जितनी भूमि आवेदक की ली जायेगी उसके बदले में उतनी भूमि आवेदक को शासकीय दी जायेगी व उसका पट्टा करा दिया जायेगा एवं अपीलाण्ट द्वारा उस समय शासकीय भूमि पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के कहने पर कब्जा कर लिया था, किन्तु	

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा पट्टा न कराये जाने के कारण अपर जिलाध्यक्ष महोदय के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी नं0 237 स्थित ग्राम भमरा जो उसके स्वामित्व की भूमि है, जिसके अंश भाग 2.00 एकड़ से सेमरिया–सतना रोड का निर्माण किया गया है व उसके बदले में आराजी नं0 54/1ग का 1.00 एकड़ एवं आराजी नं0 25 के 0.50 एकड़ भाग का पट्टा किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपर जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग को पत्र लिख कर मौके की स्थिति का प्रतिवेदन मंगाया गया । जिस पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक सेमरिया से जांच करा कर स्थल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रकरण के विचारण के दर्मियान आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिनको सुनवाई का अवसर दिया गया व अपीलाण्ट/आवेदक का आवेदन यह कह कर निरस्त कर दिया गया कि आपत्तिकर्तागण द्वारा यह आपत्ति की गई है कि 54/1ग/3 में शासकीय प्राथमिक पाठशाला भमरा, ऑगनबाड़ी केन्द्र भमरा, शंकर जी, बजरंग बली एवं दुर्गा जी के प्रसिद्ध मंदिर बने है। इसके अतिरिक्त शासकीय कूप व हैण्ड पम्प है । सतना–सेमरिया रोड भी निर्मित है । कई लोगों के घर भी है । आराजी नं0 169 में रोड भी है, इस कारण अदला–बदली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिसकी अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में की गई

थी, जिसे निरस्त कर दिया गया । इस करण यह द्वितीय अपील मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन दिनांक 23.10.2015 को यह प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भूमि नं0 237, 25, 54/1ग का मौके से अभिलेख मुताबिक निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि आराजी नं0 237 में बटवारा होने से पॉच बटा नम्बर कायम हो गये है । जिसके भूमि स्वामी पृथक–पृथक व्यक्ति है तथा आराजी नं0 25 रकबा 0.910 है0 में म0प्र0 शासन सड़क दर्ज अभिलेख है, किन्तु इसी आराजी के अंश रकबा 0.50 एकड़ भूमि में राधेश्याम, राधेलाल, बालेन्द्र, इन्दल, राजेश पिता जयराम प्रसाद ब्रा0 का कब्जा दर्ज है । इसी प्रकार आराजी नं0 54/1ग के जुज रकबा 1.00 एकड़ में राधेश्याम, राधेलाल, बालेन्द्र प्रसाद, इन्दल प्रसाद, राजेश प्रसाद पिता जयराम प्रसाद ब्रा0 द्वारा अहरी बना कर आम निरस्तार किया जा रहा है । उक्त म0प्र0 शासन दर्ज है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन व्यक्तियों के अलावा अन्य नागरिकों का कब्जा नहीं है और न ही आम निस्तार ही प्रभावित होता है तथा आपत्तिकर्तागण द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उसमें आराजी नं0 54/1ग/3 में शासकीय प्राथमिक पाठशाला भमरा, ऑगनबाड़ी केन्द्र भमरा, शंकर जी, बजरंगबली एवं दुर्गा जी के प्रसिद्ध मंदिर एवं शासकीय कूप एवं हैण्ड पम्प है, किन्तु किसी भी आपत्तिकर्ता द्वारा यह नहीं कहा गया है कि 54/1ग के किसी अंश में आवेदक के अलावा अन्य

किसी का कोई निर्माण है व कोई निस्तार है, किन्तु न तो अपर जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा और न ही अपर आयुक्त द्वारा इस बिन्दु पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया । आवेदक ने आराजी नं0 54/1ग का अंश रकबा 1.00 एकड़ एवं 25 का अंश रकबा 0.50 एकड़ का पट्टा किये जाने का निवेदन किया है तथा आराजी नं0 169 में किसी तरह का अनुतोष नहीं चाहा है । यदि आवेदक/अपीलाण्ट द्वारा चाही गई भूमि का पट्टा अपीलाण्ट के नाम कर दिया जाता है तो अन्य किसी को किसी तरह की कोई हानि होना सम्भावित नहीं है और न ही सार्वजनिक हित ही प्रभावित होगा । क्योंकि आराजी नं0 54/1ग का कुल रकबा 3.00 एकड़ है तथा आराजी नं0 25 का कुल रकबा 0.910 है0 है एवं आराजी नं0 169 का रकबा भी शासकीय है । इस कारण आवेदक के नाम पट्टा किये जाने पर किसी तरह का कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होता । इस कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अपर जिलाध्यक्ष का आदेश दिनांक 03.08.2016 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 08.09.2016 निरस्त किया जाता है । अपील स्वीकार की जाती तथा अपीलार्थी आवेदक को आराजी नं0 54/1ग का अंश रकबा 1.00 एकड़ एवं आराजी नं0 25 का अंश रकबा 0.50 एकड़ जिसमें वह सन् 1980 से निरन्तर काबिज दखिल है व मकान निर्माण है । इस कारण उसे उक्त भूमियां प्रदान किया जाता है ।

सदस्य